## न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—31ए / 2015</u> <u>संस्थापन दिनांक—02.07.2015</u> <u>फाईलिंग क.234503006632015</u>

विद्यावती पिता प्यारेसिंह, उम्र—28 वर्ष, जाति गोंड निवासी—ग्राम भिमजोरी, वार्ड नंबर—19, पोस्ट बिरसा, तहसील बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

<u>वादी</u>

## विरुद्ध

कृपालसिंह मेरावी पिता फगनूसिंह मेरावी, उम्र—30 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम झलमला, पोस्ट चिल्पी, तहसील बोडला, जिला—कवर्धा (छ.ग.)

- प्रतिवादी

## -:// <u>निर्णय</u> //:-<u>(आज दिनांक-20/01/2016 को घोषित)</u>

- 1— वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह व्यवहार वाद विवाह विच्छेद की उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और उनका विवाह गोंड जनजाति की रीति रिवाज अनुसार दिनांक—15.05.2011 को ग्राम भीमजोरी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट में संपन्न हुआ था।
- 3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्ष के मध्य विवाह होने के पश्चात् सामंजस्य स्थापित न होने से विवाद होने लगा और दोनों स्वेच्छया से अलग—अलग रहने लगे। उभयपक्ष के मध्य गोंड जाति रीति—रिवाज के अनुसार समाज के लोगों के मध्य आदिवासी गोंडवाना समाज की बैठक मलाजजखण्ड के बड़ा देव भवन में दिनांक—04.02.2013 को हुई, जिसमें उभयपक्ष

की सहमित एवं स्वेच्छया से विवाह विच्छेद का करार हो गया। इसी तारतम्य में उभयपक्ष के मध्य दिनांक—30.09.2013 को गवाहों के समक्ष समझौता पत्र निष्पादित हुआ, जिसमें उन्होंने स्वेच्छया से विवाह विच्छेद करना स्वीकार किया। वादी को प्रतिवादी से किसी प्रकार से भरण—पोषण राशि नहीं चाहिए तथा वह प्रतिवादी से उपहार दहेज का सामान प्राप्त कर चुकी है। उनके मध्य किसी प्रकार की संपत्ति का विवाद नहीं है। वादी विवाह विच्छेद की उद्घोषणा चाहती है, ताकि वह अपने अध्ययन, पुनर्विवाह, नौकरी आदि में जानकारी दे सके। वादी ने गोंड जाति रीति—रिवाज अनुसार विवाह विच्छेद की उद्घोषणा चाही है।

- 4— प्रतिवादी ने स्वीकृत तथ्य छोड़कर वादपत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि दिनांक—30.09.2013 को समझौतापत्र निष्पादित हुआ है। प्रतिवादी का यह भी अभिवचन है कि उसका वादी से पूर्णतः संबंध समाप्त हो चुका है। अतएव वादी को चाहा गया अनुतोष प्रदान कर प्रकरण समाप्त किया जावे।
- 5— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर एवं प्रकरण में तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न अंतर्निहित होने से वाद के उचित निराकरण हेतु निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

	-/(\dagger)	
<u>क्रं</u> .	वाद-प्रश्न 🚜 🗸	निष्कर्ष
1	क्या उभयपक्ष गोंड जाति आदिवासी समाज के होकर उभयपक्ष गोंड जनजाति के रीति–रिवाज से शासित	प्रमाणित
	होते हैं ?	
2	क्या उभयपक्ष के मध्य गोंड जाति रीति–रिवाज के अनुसार सामाजिक बैठक में दिनांक–04.02.2013 को आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हो गया है ?	प्रमाणित
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— वादप्रश्न क्रमांक—1 व 2 का निराकरण

- 6— सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादी पर है कि उभयपक्ष गोंड जाति आदिवासी समाज के होकर उभयपक्ष गोंड जनजाति के रीति—रिवाज से शासित होते हैं तथा उनके मध्य गोंड जाति रीति—रिवाज के अनुसार सामाजिक बैठक में दिनांक—04.02.2013 को हुए करार एवं आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हो गया है।
- 7— हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते है, जिसने दीर्घकाल तक निरन्तर और एक रूपता से अनुपलित किये जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुम्ब के हिन्दुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परन्तु यह तब जबिक वह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोक निति के विरूद्ध न हो तथा यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुम्ब को ही लागू हो, उसकी निरन्तरता उस कुटुम्ब द्वारा बंद न कर दी गई हो। इस प्रकार अधिनियम के अनुसार किसी भी रूढ़ि एवं प्रथा को प्राचीन सतत् जारी रहना चाहिए एवं अनुचित नहीं होना चाहिए। मामलें में उक्त के प्रकाश में उभयपक्ष के आदिवासी समाज गोंड जाति की प्रथा व रूढ़ी के अनुसार आपसी सहमित से उभयपक्ष के मध्य विवाह—विच्छेद होने का निराकरण किया जाना है।
- 8— वादी विद्यावती (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया कि उसका प्रतिवादी से गोंड जनजाति के रीति—रिवाज अनुसार दिनांक—15.05.2011 को विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद दोनों पक्ष के मध्य सामंजस्य स्थापित न होने से विवाद होने लगा, इस कारण दोनों पक्ष स्वेच्छया से बिना किसी डर दबाव के अलग—अलग रहने लगे और आदिवासी गोंडवाना समाज के मलाजखण्ड के देव भवन में बैठक का दिनांक—04.02.2013 को विवाह विच्छेद का गवाहों के समक्ष करार करते हुए दिनांक—30.09.2013 को गवाहों के समक्ष विवाह विच्छेद का समझौता पत्र निष्पादित किया गया। उभयपक्ष अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और उन पर हिन्दू विधि लागू न होकर गोंड जनजाति रीति—रिवाज व प्रथा लागू होती है। उनके समाज में आपसी सहमित से विवाह—विच्छेद कर लेने की

प्रथा चले आ रही है। उसका प्रतिवादी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। उसे विवाह-विच्छेद की उद्घोषणा की आवश्यकता है।

- 9— उक्त साक्षी ने अपने समर्थन में समझौता पत्र दिनांक—30.09.2013 प्रदर्श पी—1 पेश किया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। उसने गोंड जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—2 पेश किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी आदिवासी गोंड जनजाति की सदस्य है और उसका प्रतिवादी कृपालसिंह से समझौता पत्र के अंतर्गत दिनांक—04.02.2013 को हुए करार के अनुसार विवाह—विच्छेद आपसी सहमति से हो चुका है। साक्षी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का प्रतिवादी की ओर से खण्डन नहीं होने से उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
- 10— प्रतिवादी कृपालिसंह (प्र.सा.1) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह गोंड जनजाति का सदस्य है। उसका और वादी का गोंड जनजाति रीति—रिवाज के अनुसार दिनांक—15.05.2011 को विवाह संपन्न हुआ था, किन्तु दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित न होने से स्वेच्छया पूर्वक समाज के लोगों के समक्ष गोंडवाना समाज की बैठक मलाजखण्ड के बड़ा देव भवन में दिनांक—04. 02.2013 को विवाह विच्छेद का करार हो गया। उसी अनुसार दिनांक—30.09. 2013 को गवाहों के समक्ष समझौता पत्र निष्पादित कर स्वेच्छया पूर्वक विवाह—विच्छेद होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार साक्षी ने वादी का ही समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश की है।
- 11— प्रतिवादी की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में पितराम मेरावी (प्र.सा. 2) की साक्ष्य कराई गई है, जिसमें उभयपक्ष के अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छया पूर्वक गोंड जाति रीति—रिवाज व प्रथा के अनुसार विवाह—विच्छेद होने का समर्थन किया है। उक्त साक्षी के कथन अखंडित रहे हैं। इस प्रकार प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य गोंड जाति रीति—रिवाज व प्रथा के

अनुसार आपसी सहमित से विवाह—विच्छेद होने का समर्थन स्वतंत्र साक्षी के द्वारा भी किया गया है।

12— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने यह तथ्य प्रमाणित किया है कि उभयपक्ष गोंड जाति आदिवासी समाज के होकर उभयपक्ष गोंड जनजाति के रीति—रिवाज से शासित होते हैं तथा उनके मध्य गोंड जाति रीति—रिवाज के अनुसार सामाजिक बैठक में दिनांक—04. 02.2013 को आपसी सहमति के आधार पर दिनांक—30.09.2013 को विवाह विच्छेद हो गया है। अतएव वाद प्रश्न क्रमांक—1 व 2 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

## सहायता एवं व्यय

- 13— अतएव वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :--
  - (1) उभयपक्ष के मध्य गोंड जाति रीति—रिवाज के अनुसार सामाजिक बैठक में दिनांक—04.02.2013 को हुए करार व आपसी सहमति के आधार पर समझौता दिनांक—30.09.2013 को विवाह विच्छेद हो गया है।
  - (2) उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर